न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 135/2018 (223 आरटीए) भीखाराम वगै. बनाम मांगीलाल वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00334)

1 भीखाराम पुत्र तुलछाराम,
2 मोडाराम पुत्र तुलछाराम,
3 दीपाराम पुत्र तुलछाराम,
4 भंवरलाल पुत्र तुलछाराम

सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बेरड़ों का बास तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र धुड़ाराम,
2 मोहनराम पुत्र घुड़ाराम,
3 मीरा पत्नी धुड़ाराम

सभीजातियान जाट निवासीगण ग्राम बेरड़ो का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 26.06.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 76/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
3 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

22/11 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व वाद सं. 76/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट–प्रतिवादीगण की ओर से राजस्व वाद सं. 76/2017 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेरड़ा का बास के खसरा सं. 230 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा रेस्पोडेंट्स–वादीगण की आई हुई है। इसी प्रकार खसरा सं. 230/1 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा अपीलांट–प्रतिवादीगण की आई हुई है। वाद पत्र में आगे निवेदन किया कि अपीलांट प्रतिवादी द्वारा खसरा सं. 230/1 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा में से 2 समर्पण नामा दिनांक 14.03.2013 एवं दिनांक 14.03.2014 को किये गये जिसके नामांतरकरण संख्या 929 व 996 स्वीकृत किये गये, जिसके नये खसरा सं. 230/3 रकबा 2 बिस्वा, खसरा सं. 230/4 रकबा 11 बिस्वा दर्ज हुए। लेकिन राजस्व रिकार्ड में शामलाती दर्ज है। इसलिये भूमि का कब्जा काश्त अनुसार तरमीम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 27.11.2017 को उपस्थिति दर्ज करवाई गई, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 26.06.2018 को लोक अदालत आपके द्वार 2018 कैंप बेरड़ों का बास में मुकर्रर की गई। अपीलांट सं. 1 ने कैंप कोर्ट में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा होने की कोई संभावना नहीं हैं। इसलिये प्रकरण को नियमित सुनवाई हेतु मुख्यालय पर मुकर्रर किया जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 26.06.2018 को कैंप कोर्ट का हवाला देते हुये प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया। लेकिन किसी प्रकार की डिक्री पर्चा जारी नहीं किया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अपील के साथ डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि डिस्पेंस विद करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित करने में कानूनी विधिक तथ्यात्मक भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी नहीं किये जाने के कारण अपील के साथ डिक्री पर्चा की प्रमाणिति प्रतिलिपि को डिस्सपेंस विद करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमाने तरीके से निर्णय डिक्री पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस जारी रखते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण तलबी में विचाराधीन था, इस प्रकार प्रकरण अपूर्ण था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट–प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में मुकर्रर ही नहीं था। राजस्व लोक अदालत के नोटिस अपीलांट–प्रतिवादीगण को जारी ही नहीं किये। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में आपसी समझाइस से पक्षकारान के बीच राजीनामा हो जाए। जटिल प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत न्याय आपके द्वार में नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की ओदशिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पक्षकारान के बीच राजीनामा नहीं होने के कारण पत्रावली संबंधित न्यायालय में लौटाई जावे एवं तारीख पेशी 26. 06.2018 को मुकर्रर की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय–डिक्री पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय डिक्री तनकीयात कायम नहीं किये एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेंट्स–वादीगण से सांठ–गांठ कर निर्णय–डिक्री पारित कर दिये। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के बीच प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन होते हुए, रेस्पोडेंट्स ने विधि विरुद्ध तरीके से नया वाद प्रस्तुत कर बाले–बाले डिक्री करवा दिया। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुए पश्चातवर्ती वाद की सुनवाई को रोक देना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके अपीलाधीन निर्णय–डिक्री पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष कैंप कोर्ट में अपीलांट संख्या 1 ने पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलांट की ओर से भी उपरोक्त खसरान के अलावा अन्य कृषि भूमि के संबंध में भी वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसका अनवान भीखाराम बनाम मांगीलाल इस कारण से उपरोक्त दोनों प्रकरणों का एक साथ किया जाना आवश्यक है। लेकिन अधीनस्थ ने उपरोक्त विधिक बिंदु गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उपरोक्त समस्त कारणों से अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिले खारिज है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय–डिक्री खारिज करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैंप कोर्ट में मैरिट पर निर्णय–डिक्री पारित किये हैं अतः पत्रावली को विधिक प्रावधानों के तहत पुनः निर्णय–डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना चाहिये। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा लोक अदालत के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी जबकि इस प्रकरण में लोक अदालत के प्रावधानों से हट कर राजीनामा नहीं होते हुए भी प्रकरण का निस्तारण किया है अतः अपीलांट अधिवक्ता के कथन को सपोर्ट करते हुये कहा कि इस संबंध में पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये।

6 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैंप कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है अतः डिक्री पर्चा प्रस्तुत करने की न्यायहित में छूट प्रदान की जाती है एवं निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 27.11.2017 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली वास्ते जबाब दावा नियत थी। उसके बावजूद पत्रावली को बिना किसी पूर्व सूचना के राजस्व लोक अदालत शिविर में दिनांक 26.06.2018 को ले जाया गया। जबकि इस प्रोपर्टी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद भी विचाराधीन

22/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

था। प्रकरण में उभयपक्षकारान के बीच प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामा के आधार पर सभी पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नहीं होते हुए भी प्रकरण का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। अतः इस प्रकरण में यह न्यायालय अपीलांट अधिवक्ता की बहस से पूर्णतया सहमत है कि यह प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में मुकर्रर ही नहीं था। राजस्व लोक अदालत के नोटिस अपीलांट–प्रतिवादीगण को जारी ही नहीं किये। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में आपसी समझाइस से पक्षकारान के बीच राजीनामा हो जाए। जटिल प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत न्याय आपके द्वार में नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं एवं प्रकरण को न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझता हूं।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट–प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर नियमानुसार तनकीयात कायम की जावें तथा साक्ष्य आदि लेकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय व डिक्री पुनः पारित करें।

22/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर